न्यायालयः—द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मुंगावली, जिला अशोकनगर (म.प्र.)
(समक्ष— मोहम्मद अरशद)

Criminal Revision No. 01/2019
Registration No. CRR/01/2019
Filling No. CRR/80/2019
CNR No. MP67050000972019
Filing Date: 19-01-2019

खलील खां पुत्र श्री ध्यान मोहम्मद जमींदार आयु 57 वर्ष करीब जाति मुसलमान धंधा खेती निवासी वार्ड नम्बर 10 अथाई मोहल्ला मुंगावली थाना मुंगावली जिला अशोकनगर (म.प्र.)

.....पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक

:: **वि रू द्ध** ::

1. शकील उद्दीन पुत्र मकबूल उद्दीन काजी उम्र 44 वर्ष करीब जाति मुसलमान धंधा कुछ नहीं निवासी वार्ड नम्बर 10 काजी मोहल्ला मुंगावली जिला अशोकनगर (म.प्र.)
2. मध्य प्रदेश शासन द्वारा पुलिस थाना मुंगावली जिला अशोकनगर (म.प्र.)

....प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण/अनावेदकगण

अनुविभागीय दण्डाधिकारी मुंगावली द्वारा उनके न्यायालय के दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 288/2015/145 जा.फौ. में पारित आदेश दिनांक 17.07.2018 से उद्भूत आपराधिक पुनरीक्षण याचिका।

—: : आदेश : :—

(आज दिनांक 14 मई 2020 को पारित)

1. पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक ने अनुविभागीय दण्डाधिकारी मुंगावली द्वारा उनके न्यायालय के दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 288/2017/145 जा.फौ. में पारित आदेश दिनांक 17.07.2018, से व्यथित होकर यह पुनरीक्षण याचिका दण्ड

प्रक्रिया संहिता की धारा 397 के अंतर्गत प्रस्तुत की है।

2. प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्ता द्वारा बताया गया है कि राजस्व न्यायालय तहसील मुंगावली के समक्ष मध्य प्रदेश राज्य द्वारा निगरानीकर्ता एवं प्रतिनिगरानीकर्ता शकीलउद्दीन के विरुद्ध धारा 145 दं.प्र.सं. का परिवाद भूमि क्रमांक 823/1 मिन रकबा 2.080 हेक्टेयर के संबंध में विवाद होने की सम्भावना के क्रम में प्रस्तुत किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त परिवाद पर से उभय पक्ष के जवाब और दस्तावेजी प्रमाणों की प्रस्तुति तथा शपथ पत्र के आधार पर उक्त परिवाद को धारा 145 दं.प्र.सं. की परिधि में नहीं आना मान्य करते हुए आदेश दिनांक 17.07.2018 को अन्तिम आदेश पारित करते हुए परिवाद निरस्त किया गया। इस आदेश में कोई भी अवैधानिकता या त्रुटि नहीं थी, परन्तु आलोच्य आदेश दिनांक 17.07. 2018 पारित करने के पश्चात नियमित आदेश पत्रिका में पश्चातवर्ती स्तर पर पुनश्चः करके अधिकारातीत एवं अवैधानिक आदेश कर दिया जिससे व्यथित होकर निगरानी याचिका प्रस्तुत करनी पड़ी।

3. निगरानीकर्ता द्वारा विक्रय पत्र के अधीन भूमि को क्रय करना तथा क्रय करने के पश्चात से लगातार फसलें बोकर कब्जा होने का तथ्य विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार भी किया गया है। मकबूलउद्दीन (अब स्वर्गीय) का कब्जा परिवाद प्रस्तुति के दो माह पूर्व अर्थात 60 दिवस के पूर्व से या विक्रय के बाद से कभी रहा ही नहीं तो आदेश कर दिये जाने के पश्चात बाद में आदेश पत्रिका में इस आशय की टीप लेख की जाना कि ''रिकार्डेड भूमिस्वामी की भूमि पर अन्य व्यक्ति द्वारा अवैध कब्जा होने संबंधी तथ्य जांच में पाया गया। अतः अवैध कब्जेदार खलील खां पुत्र ध्यान मोहम्मद के विरुद्ध तहसीलदार मुंगावली पृथक से एम.पी.एल.आर.सी. की धारा 250 के तहत कार्यवाही करें। आदेश एवं जांच की प्रति तहसीलदार मुंगावली को दी जाए, बाद कार्यवाही प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड हो।'', कतई अवैधानिक

है। तहसील मुंगावली की ओर आदेश की प्रति भेजे जाने वाला आदेश गैर जरूरी होकर अपास्त किये जाने योग्य है।

4. धारा 250 भू–राजस्व संहिता के तहत आवेदन किये जाने पर या स्वप्रेरणा से तहसीलदार तभी कब्जा वापिस दिला सकता है, जबकि बेकब्जा किया गया व्यक्ति 06 माह पूर्व बेकब्जा किया गया हो। ऐसी कोई स्थिति भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष या उनके प्रकरण में नहीं रही है। एक बार अन्तिम आदेश पारित कर दिये जाने के बाद विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को पुनः किसी अन्य कारण से विसंगततः आदेश पत्रिका का लेखन करने का कोई विधिक अधिकार नहीं रह जाता। आलोच्य आदेश पत्रिका को निगरानीकर्ता के अभिभाषक को दिनांक 14.08.2018 को नोट कराया गया, यह प्रक्रिया भी दूषित होकर अवैधानिक व गलत रही, जिस कारण से आलोच्य आदेश पत्रिका के लेख को समाप्त किया जाना उचित है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम आदेश/निर्णय पारित करने के पश्चात आदेश पत्रिका दिनांक 17.07.2018 में पुनश्च का लेख किये गये आलोच्य आदेश को निरस्त करने की कृपा की जाए।

5. प्रतिनिगरानीकर्ता द्वारा मौखिक बहस उपरान्त निगरानीकर्ता द्वारा उठाये गये बिन्दुओं का विरोध करते हुए यह बताया गया कि निगरानी असत्य आधारों पर की गयी है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश जो आदेश पत्रिका दिनांक 17.07.2018 में पुनश्चः के बाद लिखा गया है, वह विधि अनुसार उचित है और उसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है, इसलिए निगरानी निरस्त की जाए।

6. उक्त पुनरीक्षण याचिका के न्यायोचित निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि–

1. क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 17.07.2018 अशुद्ध, अवैधानिक एवं अनऔचित्यपूर्ण होकर निरस्ती योग्य है ?

<u>विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार</u>

<u>विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01:–</u>

7. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि दिनांक 24.11.2015 को थाना मुंगावली द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 145 दं.प्र.सं. के तहत मकबूलउद्दीन, शकीलउद्दीन, खलील के विरुद्ध विवाद होकर शान्ति भंग होने की सम्भावना को लेकर परिवाद दायर किया गया था। इस परिवाद पर से विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिग आदेश करते समय यह पाया कि उभय पक्ष के मध्य शान्ति भंग हो सकती है और उन्हें शान्ति बनाये रखने हेतु 5,000–5,000/– रुपये के मुचलके अपने–अपने जवाब और शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया। इसके पश्चात प्रकरण में जांच रिपोर्ट तलब की गयी तथा उभय पक्ष से अपने–अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने को भी कहा गया। आदेश के पालन में जांच की गयी, कथन लिये गये तथा उभय पक्ष द्वारा अपने–अपने पक्ष समर्थन में शपथ पत्र और संबंधित दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये। समस्त अभिलेख के परिशीलन पश्चात विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.07.2018 को मामले में अन्तिम आदेश पारित किया। इस अन्तिम आदेश के संबंध में आदेश पत्रिका दिनांक 17.07.2018 लेखबद्ध की गयी और उसमें ऐसा उल्लेख किया गया कि **''प्रकरण में आदेश पृथक से लिखा जाकर संलग्न है। अतः प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड हो।''**

8. उपरोक्त आदेश पत्रिका लेखबद्ध करने के पश्चात पुनश्चः लिखकर आदेश पत्रिका लेखबद्ध की गयी और उसमें ऐसा लेख किया गया कि **''भूमिस्वामी की भूमि पर अन्य व्यक्ति द्वारा अवैध कब्जा होने संबंधी तथ्य जांच में पाया गया। अतः अवैध कब्जेदार खलील खां S/O ध्यान मो. के विरुद्ध तहसीलदार मुंगावली पृथक से MPLRC की धारा 250 के तहत**

कार्यवाही करें। आदेश एवं जांच की प्रति तह. मुंगावली को दी जावे। बाद कार्यवाही प्रकरण समाप्त होकर दा. रि. हो।''

9. उपरोक्त आदेश, आदेश पत्रिका पूर्ण होने के पश्चात पुनश्च करके लिखा गया है, परन्तु इस आदेश को पहले क्यों नहीं लिखा गया ऐसा कोई कारण आदेश पत्रिका में वर्णित नहीं है। दिनांक 17.07.2018 की आदेश पत्रिका के पहले भाग में आदेश पृथक से लिखा जाकर संलग्न होने वाला तथ्य बताया गया है। आदेश दिनांक 17.07.2018 का अवलोकन करने से ज्ञात है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जांच उपरान्त यह पाया कि खलील खां का विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 823/1 मिन रकबा 2.080 हेक्टेयर पर कब्जा है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह भी निष्कर्ष दिया गया है कि कब्जा 60 दिवस से पूर्व का है इसलिए धारा 145 दं.प्र.सं. की परिधि के अन्दर का न होने से कार्यवाही समाप्त की जाती है।

10. उपरोक्त के अलावा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अन्तिम आदेश दिनांक 17.07.2018 में ऐसा कहीं भी नहीं पाया है कि खलील खां का कब्जा अवैध है। धारा 250 एम.एल.आर.सी. के तहत तहसीलदार को भूमिस्वामी को अनुचित रूप से बेकब्जा किये गये मामले में स्वप्रेरणा से कब्जा कर रहे व्यक्ति को कारण बताओ सूचना जारी करने और जांच करने की शक्तियां प्राप्त हैं, परन्तु यह शक्तियां असीमित नहीं हैं। उनकी सीमायें धारा 250 म.प्र. भू–राजस्व संहिता में ही वर्णित हैं। इन्हीं सीमाओं में से एक सीमा यह भी है कि तहसीलदार की जानकारी में भूमिस्वामी को बेकब्जा किये जाने के तथ्य आने के 06 माह के भीतर ही भूमिस्वामी को बेकब्जा किया गया हो। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के अन्तिम आदेश दिनांक 17.07.2018 में अधीनस्थ न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है कि खलील खां का कब्जा विवादित भूमि पर कब से रहा और शकील उद्दीन पक्षकार क्रमांक 01 जो कि शकील

उद्दीन वगैरा को खलील खां द्वारा कब बेकब्जा किया गया। यह भी निष्कर्ष नहीं निकाला गया है कि बेकब्जा वैधानिक रूप से किया गया या अवैधानिक रूप से ।

11. धारा 145 दं.प्र.सं. की कार्यवाही में मजिस्ट्रेट को यह नहीं देखना होता है कि वास्तविक स्वत्व किसका है, बल्कि उसे तो केवल स्वयं की जांच को इस हद तक महदूद रखना होता है कि वास्तविक कब्जा सम्पत्ति पर किसका है। उसे पक्षकारों के अधिकार निर्णीत करने का कोई अधिकार नहीं है। इस संबंध में **भिनका बनाम चरण ए.आई.आर. 1959 एस.सी. 960** अवलोकनीय है। उपरोक्त के अलावा धारा 145 दं.प्र.सं. के तहत पारित किया गया आदेश समरी प्रोसीडिंग का परिणाम है और कब्जे को लेकर क्षुब्ध पक्षकार अपने अधिकारों का विनिश्चय करने हेतु सिविल न्यायालय जा सकता है। इस संबंध में भी **भिनका बनाम चरण (पूर्वोक्त)** अवलोकनीय है। मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया गया आदेश केवल और केवल सम्पत्ति पर के कब्जे के संबंध में ही किया जा सकता है। ऐसा आदेश अस्थायी प्रकृति का होता है, जब तक कि कब्जे को लेकर पक्षकार अपने हक का विनिश्चय किसी सक्षम न्यायालय से नहीं करा लेते। इस संबधं में भी **शान्ति कुमार बनाम शकुन्तला ए.आई. आर. 2004 एस.सी. 115** अवलोकनीय है।

12. उपरोक्त न्याय दृष्टान्तों के आलोक में जब विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम आदेश दिनांक 17.07.2018 का पुनः अवलोकन किया जाता है, तो यह पाया जाता है कि विवादित भूमि पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने खलील खां का कब्जा फसल बोकर एवं काटकर पाया। यह कब्जा 60 दिवस से पूर्व का होना भी पाया। यह नहीं पाया कि कब्जा वैध था या अवैध था। यह पाने का उन्हें अधिकार भी नहीं था। इसके बावजूद भी बिना किसी आधार और बिना किसी कारण के आदेश पत्रिका दिनांक 17.07.2018 में

खलील खां का अवैध कब्जा लिखा गया है। यह तथ्य किसी भी आदेश से समर्थित नहीं है और बिना किसी कारण से विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी आदेश पत्रिका में लिख दिया गया है। आदेश पत्रिका में वही तथ्य लिखे जाते हैं जिन पर वास्तव में न्यायालय किन्हीं आधारों के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचता है। निष्कर्ष के अलावा कार्यवाहियां आदेश पत्रिका में लिखी जाती हैं। इनके अलावा यदि बिना किसी आधार के कोई आदेश यदि आदेश पत्रिका में लेखबद्ध किया जाता है, तो वह अवैध एवं अशुद्ध है।

13. जहां तक आदेश पत्रिका दिनांक 17.07.2018 के द्वितीय भाग जो कि पुनश्चः करके लिखा गया है, के औचित्य का प्रश्न है, तो सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन करने के पश्चात भी यह न्यायालय नहीं समझ पा रहा है कि ऐसा आदेश विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्यों किया गया। ऐसे आदेश का कोई औचित्य यह न्यायालय नहीं पाता है।

14. अतः यह न्यायालय यह पाता है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 288/2015/145 जा.फौ. में दिनांक 17.07.2018 को जो आदेश पत्रिका लेखबद्ध की गयी थी, उसके द्वितीय भाग जो कि **''पुनश्चः रिकार्डेड.....दा.रि. हो''** है, ऐसा भाग अवैधानिक, अशुद्ध एवं अनऔचित्यपूर्ण है। ऐसे अवैधानिक, अशुद्ध और अनऔचित्यपूर्ण आदेश को स्थिर नहीं रखा जा सकता। फलस्वरूप निगरानी स्वीकार करते हुए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्व ारा अपनी आदेश पत्रिका दिनांक 17.07.2018 में लिखित आदेश **''पुनश्चः रिकार्डेड, भूमिस्वामी की भूमि पर अन्य व्यक्ति द्वारा अवैध कब्जा होने संबंधी तथ्य जांच में पाया गया। अतः अवैध कब्जेदार खलील खां S/O ध्यान मो. के विरुद्ध तहसीलदार मुंगावली पृथक से MPLRC की धारा 250 के तहत कार्यवाही करें। आदेश एवं जांच की प्रति तह. मुंगावली को दी जावे। बाद कार्यवाही प्रकरण समाप्त होकर दा. रि. हो।''**

अपास्त किया जाता है।

15. इस आदेश की प्रति विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को उचित कार्यवाही करने हेतु मूल प्रकरण के साथ भेजी जाये।

आदेश न्यायलाय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

हस्ता/–
(मोहम्मद अरशद)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
मुंगावली जिला अशोकनगर (म.प्र.)

मेरे निर्देशन में टंकित

हस्ता/–
(मोहम्मद अरशद)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
मुंगावली जिला अशोकनगर (म.प्र.)